

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/159

जयपुर, दिनांक: 5-1-2015

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत) राजस्थान।

विषय:- जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान के नाम निर्देशन पत्र में
संशोधन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान Manual of Rajasthan Panchyati Raj Law, 2014, जो आयोग द्वारा तैयार कर आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है, के पृष्ठ संख्या 159, जिस पर प्रधान/उप प्रधान/जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख के नाम निर्देशन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इस नाम निर्देशन पत्र के प्रथम भाग में बिन्दु संख्या 8 में "Signature of Candidate" शब्द मुद्रित हैं, जबकि यह भाग प्रस्तावक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाता है। अतः "Signature of Candidate" के स्थान पर इसे "Signature of Proposer" पढ़ा जाए। हिन्दी अनुवाद में भी उक्त नाम निर्देशन पत्र को तदनु रूप शुद्ध कर उपयोग में लिया जाए।

आयोग द्वारा जारी Manual of Rajasthan Panchyati Raj Law, 2014, के उक्त पृष्ठ संख्या 159 पर अंकित नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप को संशोधित कर दिया गया है। यदि आप द्वारा इसे डाउनलोड कर लिया गया है तो कृपया तदनुसार शुद्ध कर लें।

(सत्यप्रकाश बसवाली)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव, 5/1/15